

न्यायालय नायब तहसीलदार पीलवा..... (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का झालरा.....

वनान

अप्रार्थी :- श्री भवलाल भांगुराम झालरा निवासी झालरा अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 30 / 2018

निर्णय

-

दिनांक 27.6.18

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का झालरा ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी पी रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2075 में सरहद झालरा के खसरा नम्बर 302 नी. किरम झालरा में रकबा 0.04 बीघा भूमि में झालरा लगा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सवत् नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री ने दिनांक को उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली व पत्रावली पर झालरा दस्तावेजाती एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का झालरा के खसरा नम्बर 302 किरम झालरा में रकबा 0.04 बीघा का भूमि पर अतिक्रमण किया जाना बतमान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा लगे अतिक्रमण भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 8 रूपये पत्रावली की दर से अतिक्रमण रकबा 0.04 बीघा भूमि के 0.32 रूपये लगान का 50 गुणा 16/- अक्षर झालरा रूपये बताने जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी क्रूर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 27.6.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार पीलवा